दिनांक 21.07.2014 को उपायुक्त धनबाद--सह--प्रबंध निदेशक, जे.आर.डी.ए. की अध्यक्षता में जे.आर.डी.ए. की कार्यो की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. उपायुक्त, धनबाद–सह–प्रबंध निदेशक जे.आर.डी.ए., धनबाद।
2. प्रभारी पदाधिकारी (आर. एण्ड आर. एवं स्था.) जे.आर.डी.ए., धनबाद।
3. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद।
4. मुख्य प्रबंधक (असैनिक), जे.आर.डी.ए., धनबाद।
5. मुख्य प्रबंधक (वित्त), जे.आर.डी.ए., धनबाद।
6. प्रभारी भू–अर्जन, जे.आर.डी.ए., धनबाद।
7. जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, धनबाद।
8. कार्यपाल अभियंता (असैनिक), जे.आर.डी.ए., धनबाद।
9. सहायक प्रबंधक, जे.आर.डी.ए., धनबाद।
10. **Web Emission,** धनबाद।
11. **Whiz Mantra Educational Solution,** सरायढेला, धनबाद।

पूर्व के समीक्षात्मक बैठक (13.01.2014) की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा की गई।

1. Data Base Management की मंथर गति पर चिंता व्यक्त करते हुए उपायुक्त का निदेश हुआ कि कार्य में तेजी लाया जाय और सर्वे से संबंधित सभी आँकड़ा (भुगतान सहित) मेसर्स Web Emission को upload करने के लिए दिया जाय। Data की सुरक्षा एवं Back up के संबंध में एक प्रस्ताव शीघ्र जे.आर.डी.ए. को Web Emission उपलब्ध करायेगा ताकि उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई हो सके। Web Emission के प्रतिनिधित्व श्री मित्रा द्वारा बतलाया गया कि उनके द्वारा अभी तक मेसर्स व्हिज मंत्रा के द्वारा सर्वेक्षित लगभग 8500 Household को upload किया गया है। उपायुक्त का आदेश हुआ कि शेष बचे Household को भी शीघ्र Data Base में सुरक्षित किया जाय।

2. Data Base Management की चर्चा करते समय उपायुक्त के द्वारा पूछा गया कि इस कार्य के लिए कितने लोगों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उपायुक्त को बतलाया गया कि इसके लिए तत्काल मात्र एक ही Data Entry Operator कार्यरत है। उपायुक्त का आदेश हुआ कि MADA से अस्थायी रूप से चार लिपिक–सह–सहायक की सेवाएँ ली जाय जिसका भुगतान जे.आर.डी.ए. द्वारा किया जायेगा और इस कार्य के लिए एक दल गठित किया जाय। एक दल के प्रभारी श्री युगल किशोर, प्रभारी भू–अर्जन रहेंगे जो ISM एवं CIMPR के Data Management के कार्यो के लिए उत्तरदायी रहेंगे। ये भुगतान का प्रस्ताव प्रभारी पदाधिकारी (आर. एण्ड आर.) के माध्यम से उपस्थापित करेंगे। इसी क्रम में उपायुक्त का आदेश हुआ कि Data Entry Operator एवं अन्य पदों को शीघ्र भरा जाय। यदि पूर्व में Roaster clearance हुआ है तो पुनः इस प्रक्रिया में बदलाव

नहीं लाना चाहिए और Roaster clearance सहित नियुक्ति की संचिका शीघ्र उन्हें उपस्थापित किया जाय।

3. मेसर्स व्हिज मंत्रा के प्रतिनिधि श्री अभिषेक चक्रवर्ती द्वारा बतलाया गया कि Data verification की गति बहुत धीमी है। एक दिन में 30–40 Household का ही clearance हो पाता है तथा इससे संबंधित Raw Data असुरक्षित अवस्था में अधर–उधर पड़ा रहता है। प्रभारी पदाधिकारी द्वारा इस पर उपायुक्त को सूचित किया गया कि श्री अभिषेक चक्रवर्ती द्वारा दी गई सूचना सही नहीं है, क्योंकि Data clearance का काम एक दिन के अंदर कम–से–कम 60–70 से कम नहीं होता है। जे.आर.डी.ए. के अन्य टंकण कार्यों में वृद्धि के कारण इस संख्या में कमी आ जाती है तो कभी–कभी यह संख्या 120 से उपर चली जाती है। सभी Raw Data का Site wise एक साथ Bundle बनाकर रखा जाता है। उपायुक्त का आदेश हुआ कि सभी Data को Site wise एवं Colliery wise bundle बनाकर सफेद कपड़ा में बांधकर सुरक्षित रखा जाय। इसके लिए आवश्यकतानुसार बड़े–बड़े Trunk का क्रय किया जाय।

4. Web Emission के Data प्रदर्शन के समय यह तथ्य सामने आया कि सर्वे शीट पर Issuing पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। उपायुक्त को बताया गया कि इसके लिए उप विकास आयुक्त प्राधिकृत है। उपायुक्त का आदेश हुआ कि पूर्व के उप विकास आयुक्तों की एक सूची (उनके कार्यकाल एवं हस्ताक्षर के नमुना सहित) Web Emission को उपलब्ध कराया जाय ताकि उसे वे Data Management में प्रयोग कर सकें।

5. Web Emission के द्वारा उपायुक्त को सूचित किया गया जे.आर.डी.ए. के Data के लिए उनके पास 2 GB का Space है जो आवश्यकता के अनुपात में बहुत कम है। इस कमी के कारण फोटो एवं अन्य सूचना Upload नहीं की जा सकती। उनका प्रस्ताव हुआ कि 40 GB का Server Space प्रतिस्थापित किया जाय। इस कार्य के लिए प्रतिवर्ष चालीस हजार खर्च आयेगा। उपायुक्त का आदेश हुआ कि Web Emission एक प्रस्ताव प्रस्तुत करे जिसके लिए Quotation प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

6. जिला विज्ञान सूचना पदाधिकारी, धनबाद को निदेश दिया गया कि जे.आर.डी.ए. का Uploaded आँकड़ा सुरक्षित है या नहीं उसकी जाँच कर एक निरीक्षण प्रतिवेदन शीघ्र उपायुक्त को उपलब्ध कराया जाय।

7. भूमि अर्जन के संबंध में प्रभारी भू–अर्जन द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई। अर्जित भू–भाग के Mutation के सिलसिले में भी चर्चा हुई और हुई प्रगति से उपायुक्त को अवगत कराया गया।

8. बैठक में उपायुक्त के समक्ष झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार में कार्यरत संविदा कर्मियों का हस्ताक्षरयुक्त आवेदन को रखा गया। उनके आवेदन में माँग की गई है कि उन्हें एक मुस्त राशि मिलती है। महँगाई को ध्यान में रखते हुए राशि में बढ़ोत्तरी की जाय। उपायुक्त का आदेश हुआ कि इस मामले को अगले प्रबंध पर्षद में रखा जाय।

CIVIL PORTION

9. विभिन्न सिविल निर्माण कार्यो पर आधारित Power Point Presentation दिखाया गया। सर्वप्रथम 2000 विस्थापित आवास निर्माण कार्य का Status दिखाया गया। उपायुक्त महोदय ने प्रथम चरण के विस्थापित आवासों को रहने योग्य बनाने के लिए प्रयास किये जाने पर जोर दिया।

   प्रथम चरण में जो 912 विस्थापित आवास बनाये जा रहे है। उनके Development works जैसे, रोड, वाटर सप्लाई, सेनिटेशन व External Electrification हेतु प्राक्कलन प्रस्ताव आगामी प्रबंध पर्षद की बैठक में रखा जाये ताकि ये कार्य भी साथ–साथ किये जा सकें और प्रथम चरण विस्थापित आवासों को प्रभावित परिवारों में शीघ्र आवंटित किया जा सके। मुख्य प्रबंधक (असैनिक) ने बताया कि DPR/प्राक्लन प्रस्ताव तैयार है वित्तीय जाँच बाकी है। आगामी प्रबंध पर्षद के बैठक में प्रस्ताव रखा जा सकता है।

10. नवीन कार्यो के Tender Status के बारे में बताया गया कि 6000 विस्थापित आवास का कार्य Credentials verification के अभाव में Tender Progress रूका हुआ है। लोदना में प्रस्तावित Transit camp का कार्य बी.सी.सी.एल. से उपयोगिता देखते हुये Fund availability पर ही कराया जा सकता है। इसके Price bid को खोलने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा चुका है और निविदा प्रक्रिया चल रही है।

11. High School, Children park, Masjid एवं मंदिर हेतु समिति के गठन पर अविलंब ध्यान देने होगा। मंदिर के Adjoining Area के Development हेतु चहार दीवारी व बैठक व्यवस्था एवं अन्य कार्यो हेतु प्राक्लन बना कर प्रबंध पर्षद से अनुमति लेने का निर्देश हुआ।

12. शॉपिंग सेंटर आंवटन न होने के कारण Detoriate हो रहा है। बैंक व पोस्ट ऑफिस को त्वरित रूप से आंवटित कर इसे तुरंत इस्तेमाल में लाने का निर्देश हुआ।

13. कब्रिस्तान व श्मशान स्थल के कार्य आंवटन हेतु निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया।

14. उपायुक्त महोदय को जानकारी दी गई की Energy meter लगाने का कार्य प्रांरभ किया जा चुका है। उन्होंने निर्देशित किया कि जो भी निवासी इसे Delink करता है या तोड़ने का प्रयास करता है उस पर FIR सहित अन्य दण्डनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

15. M/s MJ Engineering के पूर्व में Completed work के Finalization हेतु Revised estimate का Approval व Final Time Extension Penalty Review का प्रस्ताव आगामी प्रबंध पर्षद की बैठक में रखे जाने का निदेश हुआ।

16. झरिया विहार कॉलोनी में Curtailment of load factor & rearrangement of transformers के बारे में चर्चा हुई व JSEB से वार्त्ता कर इस संबंध में Available Transformers का उपयोग नये निर्णयानुसार करने का निर्देष हुआ।

17. मुख्य प्रबंधक (वित्त) ने Reappropriation of Budget 2014-15 का प्रस्ताव प्रस्तुत किया इसमें नये कार्यो को समाहित करके within approved budget reappropriation प्रस्ताव को आगामी जे.आर. डी.ए. प्रबंध पर्षद की बैठक में रखने का प्रस्ताव हुआ।

18. Rites Ltd. के द्वारा संपादित की जा रही गतिविधियों का अवलकोन किया गया व Technical Sanction हेतु प्रेषित DPR का स्वीकृति हासिल किये जाने का निदेश हुआ।

धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त हुई।

उपायुक्त, धनबाद
–सह'
प्रबंध निदेशक,
जे.आर.डी.ए., धनबाद।